"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2011—कार्तिक 13, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्रमांक 428/76/अव./2011/1-8/स्था.—श्री गोपाल सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 7-2-2011 से 11-2-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गोपाल सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गोपाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्रमांक 430/105/अव./2011/1-8/स्था.—श्री मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7-2-2011 से 11-2-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुन्द गजभिये को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकुन्द गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्रमांक 432/83/अव./2011/1-8/स्था.—श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-1-2011 से 19-1-2011 तक 09 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. टोप्पो को अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 2-21/2010/1-8.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत सहायक प्रोग्रामर का एक पद वेतनमान रु. 9300-34800+4200 में निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उपरोक्त पद के निर्माण हेतु वित्त विभाग ने यू.ओ. क्रमांक 31/सी.एन. 32507/बजट-5/वित्त/चार 2011 दिनांक 02-02-2011 से सहमति प्रदान की है.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2011

क्रमांक 546/145/अव./2011/1-8/स्था.—श्री बी. आर. साहू, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 2-2-2011 से 11-2-2011 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. साहू को प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक 2259/पंग्रा.वि.वि./22/2011.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन प्रारूप "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, 2011" को प्रकाशन तिथि से 45 दिनों के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) में प्रकाशित करती है.

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, 2011 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त, व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. 317, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, 2011 कहलायेंगे.

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—**

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42);

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना तथा नियम 3 के उप-नियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी;

(ग) "अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है, संबंधित जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;

(घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है, संबंधित जिले का कलेक्टर;

(ङ) "कार्यक्रम अधिकारी" से अभिप्रेत है, जनपद पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी;

(च) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(छ) "राज्य स्तरीय अधिकारी" से अभिप्रेत है, नियम 5 के उप-नियम (5) के अधीन पदाभिहित राज्य स्तरीय अधिकारी.

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं किये हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है.

3. **शिकायत निवारण अधिकारी का मनोनयन.—**

(1) शिकायत निवारण अधिकारी खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे.

(2) ग्राम पंचायत के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, कार्यक्रम अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा तथा कार्यक्रम अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी परंतु जो अपर कलेक्टर की पदश्रेणी से निम्न न हो, को की जायेगी तथा तद्नुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक या जिला स्तरीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील, आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास आयुक्त कार्यालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को की जायेगी.

4. **शिकायतों के नत्थीकरण की प्रक्रिया.—**

(1) ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई शिकायत हो, संबंधित कार्यक्रम अधिकारी अथवा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करेगा.

(2) शिकायतों की प्रस्तुती को सरल बनाने हेतु, कार्यक्रम अधिकारी व अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में विशिष्ट स्थान पर शिकायत पेटी संस्थापित की जायेगी.

(3) ग्राम सभा एवं सामाजिक लेखा परीक्षा फोरम (सोशल ऑडिट फोरम) भी लोक सुनवाई के लिए फोरम उपलब्ध करायेगा जिससे शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा सके.

(4) शिकायत प्राप्त होने पर, संबंधित अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी, याचिकाकर्ता का नाम तथा पता, याचिका की प्रकृति, तथा दिनांक, शिकायत रजिस्टर में इन्द्राज करने हेतु संबंधित कार्यालय को निर्देशित करेगा.

(5) शिकायत पंजी करने वाला अधिकारी, क्रमांक तथा दिनांक सहित लिखित पावती प्रदान करेगा जो कार्यक्रम अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में काऊंटर से अपनी शिकायत के निराकरण की स्थिति प्राप्त कर सकेगा.

5. **शिकायत निराकरण की प्रक्रिया—**

(1) समस्त प्राप्त शिकायतों का उनकी प्राप्ति के पन्द्रह दिनों की वैधानिक समय-सीमा के भीतर निराकरण किया जायेगा.

(2) संबंधित अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी का कार्यालय, की गई कार्य ही से लिखित में याचिकाकर्ता को सूचित करेगा. एक बार शिकायत का निराकरण हो जाए, तो उसकी तारीख तथा निर रण की प्रकृति से याचिकाकर्ता को संसूचित किया जाना चाहिए.

(3) यदि शिकायतकर्ता, की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह नियम 3 के उप-नियम (2) अधीन संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को पन्द्रह दिनों के भीतर अपील कर सकेगा.

(4) अपीलीय प्राधिकारी, पन्द्रह दिनों की वैधानिक समय-सीमा के भीतर अपील का निराकरण करेंगे तथा गई कार्यवाही से लिखित में शिकायतकर्ता को सूचित भी करेंगे.

(5) राज्य में शिकायतों के निराकरण की मॉनिटरिंग हेतु आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई राज्य स्तर के अधिकारी, राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकारी होंगे.

6. **शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रिया.—**

(1) राज्य स्तरीय अधिकारी, समस्त स्तरों पर शिकायत निवारण की प्रक्रिया को व्यापक प्रचार प्रसार प्रदान करेंगे.

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक, शिकायतों के प्रकटीकरण की स्थिति के संबंध में त्रैमासिक समीक्षा (बैठक) करेंगे तथा इसे स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायेंगे.

(3) प्रत्येक माह शिकायतों के निराकरण की मॉनिटरिंग, उन क्षेत्रों के पहचान के लिए आगामी उच्च स्तर पर की जायेगी जिनमें अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है.

(4) प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों पर मासिक रिपोर्ट के रूप में कार्यक्रम अधिकारी से अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक से जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक से राज्य सरकार तथा राज्य सरकार से भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबपेज के प्रीडिजाईन्ड फारमेट में भी ऑनलाईन प्रविष्टि की जायेगी.

7. **निरसन.**—पूर्व प्रकाशन से संबंधित पूर्ववर्ती अधिसूचना क्र. 4429/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/22/2010, दिनांक 20-04-2010, जो राजपत्र में दिनांक 11 जून, 2010 को प्रकाशित हुई थी, एतद्द्वारा निरसित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक 2260/पं.ग्रा.वि.वि./22/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2259 दिनांक 30-09-11 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th September 2011

क्रमांक 2259/पं.ग्रा.वि.वि./22/2011.—The following draft of the Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Grievance Redressal Rules, 2011, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 32 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 32 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of forty five days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions which may be received by the Principal Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. 317, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

RULES

1. **Short title, extent and commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Grievance Redressal Rules, 2011.

(2) These rules shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005);

(b) "Appellate Authority" means the Commissioner, Employment Guarantee Scheme and any other officer as referred to in sub-rule (2) of Rule 3;

(c) "Additional District Programme Coordinator" means Chief Executive Officer of concerned Zila Panchayat;

(d) "District Programme Coordinator" means Collector of concerned district;

(e) "Programme Officer" means programme Officer of Janpad Panchayat;

(f) "Section" means a Section of the Act;

(g) "State Level Officer" means the State Level Officer as designated under sub-rule (5) of Rule 5.

(2) Words and expression used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Designation of Grievance Redressal Officer.—**

(1) The Grievance Redressal Officer at the Block level will be the Programme Officer and at the District level the Additional District Programme Coordinator.

(2) Any person aggrieved by an order of the Gram Panchayat may prefer an appeal to Programme Officer and an appeal against the order of the Programme Officer will lie to the District Programme Coordinator or to any officer authorized by him/her on his behalf but not below than the rank of Upper Collector and accordingly an appeal against the order of the District Programme Coordinator or District Level Officer will lie to the Commissioner, Employment Guarantee Scheme, Office of the Development Commissioner, Department of Panchayat and Rural Development or to any officer authorized by him/her for this purpose.

4. **Procedure for filing complaints.—**

(1) A person who has any complaint shall submit to the concerned Programme Officer or Additional District Programme Coordinator.

(2) There shall be complaint boxes installed at conspicuous places in the offices of the Programme Officers and Additional District Programme Coordinator to facilitate submission of complaints.

(3) The Gram Sabha and the Social Audit Forum shall also provide a forum for public hearings so that grievances may be quickly redressed.

(4) On receiving the complaint, the concerned Additional District Programme Coordinator and the Programme Officer shall direct the concerned official to enter the name and address of the petitioner, nature and date of the petition, in the complaints register.

(5) The official registering the grievance shall give a written receipt with number and date so that he/she can follow up the status of disposal of his/her grievance from a counter in the office of the Programme Officer and Additional District Programme Coordinator.

5. **Procedure for disposal of complaints.—**

(1) All the complaints received shall be disposed of within the statutory time limit of fifteen days of their receipt.

(2) The office of the Additional District Programme Coordinator and Programme Officer concerned shall inform the petitioner of the action taken in writing. Once a grievance has been disposed of, the date and nature of disposal should be communicated to the petitioner.

(3) If the complainant is not satisfied with the action taken, he/she may prefer an appeal to the concerned Appellate Authority under the sub-rule (2) of Rule 3 within fifteen days.

(4) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within the statutory time limit of fifteen days and also inform the complainant of the action taken in writing.

(5) The Commissioner, Employment Guarantee Scheme or any State Level Officer authorized by him/her shall be the State Level Appellate Authority to monitor the disposal of complaints in the State.

6. **Procedure for monitoring of complaints.—**

(1) The State Level Officer shall give wide publicity to the procedure for grievance redressal at all level.

(2) The District Programme Coordinator shall hold quarterly meeting regarding the situation of disclosure of complaints and also published it in local news papers.

(3) Every month the monitoring of disposal of the complaints shall be done at the next higher level for identifying the areas which require additional attention.

(4) Monthly reports on complaints received and disposed of shall be sent from Programme Officer to Additional District Programme Coordinator and from Additional District Programme Coordinator to District Programme Coordinator and from District Programme Coordinator to State Government and from State Government to Government of India and will also be entered on line in predesigned formats in the webpage of the Ministry of Rural Develpment, Government of India.

7. **Repeal.—** The earlier Notification No. 4429/Panchayat Gramin Vikas Vibhag/22/2010, dated 20th April, 2010, regarding previous publication which was published in Chhattisgarh Gazette on 11th June, 2010 is hereby repealed.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Joint Secretary.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

विषय:- आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सेटअप का निर्धारण.

क्रमांक एफ 2-53/2004/25/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के लिये वाहन चालक के 02 अतिरिक्त पद वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 1900 में सृजन करते हुए, केमरामेन का कार्य आऊट सोर्स (Out Source) से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उक्त व्यय मांग संख्या-33, मुख्यशीर्ष-2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजाति का कल्याण-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना-सामान्य 334-आदिवासी अन्वेषण संस्था के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 313/00000937/वित्त विभाग/ब-3/2011 दिनांक 20-09-2011 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र./1673/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंण्डीलोहारा	जर्राडीह प. ह. नं. 30/45	1.20	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना, दुर्ग.	माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र./1675/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	जुन्नापानी प. ह. नं. 30	2.746	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	हथनी	0.101	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	हथनी नाला पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मुरकुटा	0.113	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	हथनी नाला पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खुड़ियाडीह प. ह. नं. 13	13.71	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्रमांक 2/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खम्हारडीह प. ह. नं. 14	13.73	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	अमलीभौना प. ह. नं. 11	0.17	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोड़ातराई प. ह. नं. 24	1.726	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सांगीतराई प. ह. नं. 11	0.218	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तड़ोला प. ह. नं. 36	0.759	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	केसला प. ह. नं. 22	0.340	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सहदेवपाली प. ह. नं. 23	0.343	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बेलपाली प. ह. नं. 24	0.899	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत झारमुड़ा शाखा नहर हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक 15531/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	केराकछार प.ह.नं. 33	89.965	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-निरतू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.58 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1823/1	0.06
1823/5	0.26
1862/5	0.24
1862/6	0.26
1867	0.05
1866	0.32
1865	0.07
1868	0.14
1869	0.04
1870	0.02
1981	0.06
1980/2	0.07
1949/2	0.13
1949/1	0.16
1949/3	0.17
1948/2	0.35
1947	0.11
1946	0.18
1941	0.28
1936	0.12
1871	0.20
1872/1	0.27
1873/1	0.03
1874	0.12
1877 1-2	0.63
1880/1	0.19
1879/1	0.26
1882	0.03
1881	0.27
1884	0.01
1883	0.37
1982/2	0.20
1980/1	0.22
1937	0.13
1934/1	0.02
1933/1	0.24
1933/2	0.21
1933/3	0.08
1932/2	0.11
1932/1	0.19
1931/1	0.13
1931/2	0.14
1930/1	0.27
1930/2	0.17
योग 44	7.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लछनपुर व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर आर.बी.सी. निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.83 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	263/9	0.03
	263/3	0.04
	263/7	0.11
	263/5, 263/6	0.05
	263/4	0.15
	263/2	0.16
	265/4	0.02
	302/3	0.08
	304	0.17
	302/2	0.03
	302/1	0.03
	301/2	0.02
	306/2	0.18
	306/4	0.08
	306/5	0.08
	306/1	0.25
	319/1	0.22
	319/2	0.16
	319/5	0.08
	322/4	0.01
	322/2	0.13
	322/1	0.26
	327/2	0.20
	2	0.29
योग	24	2.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोढ़ी जलाशय दायीं एवं बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	140/45	0.30
	140/60	0.02
	140/58 ख	0.03
	140/32 ख	0.01
	140/14	0.29
	140/75	0.28
	140/70	0.23
योग	7	1.16

(2) सार्वजनिक प्रयोज [illegible] जिसके लिए आवश्यकता है-गोढ़ी जलाशय बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-उडांगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.58 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
282/8	0.02
283/1	0.17
318/1	0.66
318/2	0.02
145/2	0.08
359	0.70
141/1	1.54
139/4	0.15
139/2	0.11
138/1	0.72
282/12	0.25
131/1+2	0.70
132	0.70
146/1	0.03
133/1	0.33
133/6	0.05
130/2	1.32
130/3	0.54
282/7	0.11
282/3	0.46
282/10	0.30
420/6	0.20
428/7	0.57
420/12	0.05
425/1	0.30
425/2	0.28
420/11	0.15
422	0.66
141/2	0.05
141/3	0.70
141/6	0.02
145/3	0.58
145/4	0.58

(1)	(2)
144/1	0.04
320/1	0.40
140/1	0.03
146/2	0.03
130/1	0.17
123/6	0.48
234/1	0.03
182/4	0.68
319/4	0.20
317	0.80
331	0.44
319/3	0.25
139/1	0.50
332/3	0.39
332/1	0.35
313/19	0.36
339/1	0.50
338	0.13
357	0.45
356/1	0.48
420/10	0.15
358/1+2	0.34
360/1	0.03
432	0.83
358/5	0.25
425/8	0.40
425/13	0.20
332/2	0.69
340/2	0.26
337/3	0.25
313/12	0.24
313/13	0.17
313/18	0.02
340/1	0.19
339/2	0.40
337/2	0.25
344/2	0.21
354	1.61
365	0.10
366/8	0.07
363/4	1.04
421	0.59
420/8	0.30
429	0.11

	(1)	(2)
	428	0.07
योग	78	28.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कुकदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-38.89 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
47	0.52
465/1	0.30
465/2	0.30
465/3	0.30
466/1	0.34
466/2	0.42
230/2	0.08
464/5	0.73
464/7	0.53
480/1	0.52
480/2	0.65
232/10	0.50
121/3	0.40
497/3	0.38
481/1	0.27
149/2	0.25
1011	0.43
495/2	0.52
495/3	0.51
365/1	0.10
496	0.42
497/2	0.40
507/2	0.10
507/3	0.80
205	0.36
1028/1	1.00
194	1.71
195/1	0.20
195/2	0.10
149/3	0.16
154/1	0.35
154/3	0.40
154/2	0.34
154/5	0.35
154/4	0.11
150	0.07
151/3	0.26
229	0.50
149/1	0.25
149/2	0.25
149/4	0.30
149/5	0.40
1003	1.00
1010	0.90
1011/2	0.05
1020	1.27
1028/2	0.90
1026/1	0.77
120/4	0.80
445/1	0.30
445/3	0.40
445/4	0.10
444/3	0.10
446/1	0.37
447	0.37
448/3	0.60
366	0.52
367/2	0.06

(1)	(2)
120/1	0.75
120/6	0.75
232/1	0.50
121/1	0.50
232/8	0.64
207/3	0.60
208/2	0.04
121/2	0.40
230/1	0.11
230/4	0.30
232/7	0.10
223/1	0.42
223/5	0.85
207/1	0.09
207/6	0.40
208/1	0.20
231	0.50
1026/2	0.10
232/3	0.05
232/11	0.25
223/4	0.05
207/4	0.20
207/2	0.05
507/1	0.69
448/1	0.16
448/2	0.35
449/1	0.05
449/2	0.02
437/1	0.10
451/1	0.45
452/4	0.10
368	0.10
369	0.10
365/2	0.46
122/1	0.40
483/3	0.24
450/2	1.74
372/1	0.01
372/2	0.18
191/3	0.40
495/1	0.10
योग 99	38.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्रमांक 13238/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-सलका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5	0.8
11	2.00
15	0.50
23	0.32
26	0.24
288	0.05
302	0.03

(1)	(2)
313	0.05
93	0.20
113	0.16
300	0.08
122	0.21
282	0.04
290	0.02
317	0.07
318	0.01
298	0.18
299	0.10
280	0.06
284	0.05
286	0.05
287	0.07
262	0.12
245	0.05
758	0.04
752	0.20
762	0.12
761	0.08
759	0.02
760	0.06
757	0.11
690	0.19
1015	0.21
1012	0.10
1123	0.17
1124/1	0.02
1124/2	0.04
1123/1235	0.18
1125	0.06
1130	0.04
1127	0.03
1131	0.04
1128	0.03
1132	0.04
1129	0.04
1133	0.08
1137	0.10
1140	0.07
1141	0.03
704	0.06
702	0.05
301	0.01
314	0.01
303	0.22
315	0.07
316	0.01
312	0.04
319	0.06
320/1	0.03
320/2	0.03
320/3	0.03
321	0.04
326	0.05
324	0.05
325	0.04
672	0.02
270	0.14
708	0.10
709	0.04
710	0.07
705	0.06
706	0.05
674	0.04
687	0.13
650	0.07
647/1	0.05
649	0.04
507	0.07
509	0.03
512	0.03
513	0.02
517	0.03
520	0.05
528	0.09
530	0.08
522	0.03
526	0.06
योग 87	9.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलका जलाशय सिंचाई योजना के लिए बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सेन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1445/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 23/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.61 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	414	0.18
	424	1.39
	437	0.36
	446	0.21
	447	0.17
	459	1.02
	484	0.28
योग	7	3.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत सी.एस.ई.बी. के सब स्टेशन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1446/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 24/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	2.15
2	1.97
3	0.82
4	0.75
5	0.38
6	0.68
7	0.91
8	0.64
9	0.53
10	1.22
16/1	0.61
18/1	0.23
19/1	1.54
20	0.61
23	1.07
17	0.18
24	1.34
25	1.42
26	0.16
27	0.67
28	0.20
21	0.10

	(1)	(2)
	29/1	1.31
योग	23	19.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1447/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 17/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-चीचा, प. ह. नं. 72/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.42 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	364	4.42
योग	1	4.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत रोड क्रमांक-13 एवं विकास कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1448/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 31/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेन्द्री, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.544 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	352/1, 353/36, 360/4, 360/5	0.012
	367/1	0.162
	378/1	0.050
	378/2	0.097
	378/3	0.033
	382	0.180
	383/1	0.010
योग	7	0.544

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1449/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 21/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प. ह. नं. 72/15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.58 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1810	0.68
	1979/1	1.90
	1979/2	2.00
योग	3	4.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत रोड क्रमांक-9बी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-टेका, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.687 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	193	0.012
	262/1	0.266
	195/3	0.045
	220/1	0.036
	1/1	0.109
	195/4	0.028
	33/2	0.113
	219/1	0.335
	201/6	0.061
	2	0.045
	207/1	0.446
	194	0.032
	201/1	0.081
	220/2	0.036
	3/1	0.041
	263/2	0.045
	196/2	0.034
	196/8	0.164
	4	0.014
	262/2	0.270
	195/1	0.041
	1/2	0.008
	220/4	0.032
	195/2	0.049
	264/2	0.008
	201/2	0.186
	196/2	0.049
	33/3	0.101
योग	28	2.687

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की तारापुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-पुसौर
   (ग) नगर/ग्राम-गोतमा, प. ह. नं. 37
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.011 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
512/1	0.041
512/3	0.047
512/2	0.024
513	0.081
515/2	0.053
518	0.073
538	0.028
552	0.002
554/1	0.004
553	0.053
554/952	0.069
554/2	0.053
555	0.041
556	0.036
557	0.008
567/1	0.153
926/3	0.032
570/1	0.053
914	0.002
570/2	0.041
584	0.016
585	0.016
615	0.081
616/2	0.012
616/1	0.065
616/6	0.008
617	0.073
618	0.002
619	0.028
620/2	0.089
620/3	0.202
620/6	0.109
621/1	0.105
923/2	0.041
621/3	0.097
621/6	0.097
627/1	0.210
627/2	0.053
628	0.101
629/2	0.016
930/21	0.061
930/26	0.081
930/2	0.012
930/35	0.073
933/1	0.036
923/3	0.121
924/1	0.045
924/2	0.016
527/2	0.016
528/2	0.026
536/2	0.024
537/2	0.076
930/23	0.024
930/22	0.085
योग 54	3.011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की छिछौर उमरिया वितरक नहर से केलापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कठली, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.266 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
192	0.012
230/5	0.028
279/1	0.004
412/1	0.036
332/2	0.004
235/1	0.008
230/3	0.012
147/2	0.069
194	0.121
234	0.093
387	0.077
112	0.041
168/1	0.020
212/1	0.004
329	0.125
385/1	0.049
256	0.032
229/1	0.008
213	0.024
267	0.170
256/3	0.016
266/1	0.117
266/2	0.028
368/2	0.024
418	0.012
417/1	0.008
416	0.057
279/2	0.008
407/3	0.133
298/3	0.065
148/2	0.008
277	0.049
368/4	0.049
346/1	0.117
346/2	0.020
113/4	0.004
278	0.069

(1)	(2)
326/1	0.004
368/1	0.041
165	0.121
168/2	0.032
193	0.081
412/2	0.113
168/3	0.016
212/2	0.113
385/2	0.024
330	0.065
295	0.024
340/5 ग	0.004
332/1	0.049
408/2	0.113
273	0.057
331	0.089
328/1	0.016
386	0.041
368/3	0.093
388	0.081
113/1	0.049
402	0.081
111/2	0.028
406	0.004
407/2	0.008
146/2	0.012
413	0.008
335/2	0.020
257/1	0.004
109/2	0.032
113/2 क	0.032
211/1	0.041
296/2	0.041
401/3	0.113
211/2	0.053
228/2	0.012
228/3	0.008
229/2	0.008
233/1	0.036
257/2	0.012
344/5	0.045
345/2	0.129
345/1	0.093
236	0.004
235/2	0.008
113/2 ख	0.020
146/1	0.032
145	0.153

	(1)	(2)
	108/2	0.016
	109/1	0.004
	401/2	0.057
	298/1	0.057
	408/1	0.008
	296/1	0.045
	401/1	0.093
योग	92	4.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की कलमा माइनर-1 एवं 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कोतासुरा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.028 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	518/2	0.024
	519/1	0.020
	638/4	0.020
	520	0.016
	634	0.109
	550/2	0.053
	550/3	0.120
	550/4	0.158
	550/5	0.032
	649/1	0.119
	671/2	0.006
	548/2	0.006
	551	0.093
	635	0.113
	673	0.040
	552	0.004
	630/2	0.032
	639/1	0.044
	639/2	0.062
	640	0.112
	641	0.004
	648/3	0.016
	648/5	0.089
	648/6	0.080
	652/1	0.028
	653/4	0.112
	654/1	0.125
	655/3	0.089
	656/1	0.004
	670	0.017
	675	0.084
	674/3	0.004
	676/16	0.050
	672	0.063
	649/2	0.072
	649/5	0.008
योग	36	2.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की ठाकुरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.